संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,

गनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

SONI ELECTROSTATE
CIVIL LINE, FAIZABAD

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 2010

विषय:– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1632/दस–62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरुप, दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु0 8000–13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर–4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(2) (i) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे :—

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रुप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर

उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन

वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस– 59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ–5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होंगी।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा--नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अंतर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(7) इस योजना के अर्न्तगत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु सामयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अंतर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान / वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2— समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय--समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे :--

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रुपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) **(i)** 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी / कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना

में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रुप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरुप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणी :--- उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक–1 पर उपलब्ध हैं।

3— पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे :-

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नान फंक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम् 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम् 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय

वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4— वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5— (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के क्रम में यदि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया है तो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया जायेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी

की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6— ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

7— ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8— ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1318/दस—59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या—वे0आ0—2— 1632/दस—59(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—वे0आ—2— 56 (1)/दस—62एम/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी—I एवं II तथा आडिट—I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 का संलग्नक

उदाहरण–1

वेतनमान रु0 4000–6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/–) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान रु0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरुप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान रु0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/ उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/ उच्चीकृत वेतनमान रु0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) वैयक्तिक रुप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण–2(I) :––

वेतनमान रु0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रुप में रु0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रुप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरुप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रुप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरुप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रुप में अनुमन्य रु0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य होगा।

उदाहरण–2(II)

इसी प्रकार वेतनमान रु0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रुप में रु0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रुप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रुप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरुप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रुप में अनुमन्य रु0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे0आ0–2– 1318/दस–59(एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

संलग्नक–2

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 का संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रकिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियॉं, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरुप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरुप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रु0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु0 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नय अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :—

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रुप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहॉं वित्तीय स्तरोन्नयन

के रुप में अनुमन्य वेतन वैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

<u>नोट:–</u> यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। <u>उदाहरण–</u> किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नय यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नय किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। <u>उदाहरण–</u>किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नय यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

SONI ELECTROSTATE
CIVIL LINE, FAIZABAD

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 रा0 वित्त–2010–(206)–7000 प्रतियां–(क0/टी0/आ0)।